न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, रायपुर जिला भीलवाड़ा (राज0)

पीठासीन अधिकारीः—दिव्यराज सिंह चुण्डावत, आर.ए.एस.

मुकदमा नम्बरः—83 / 2023 (2023 / 151) प्रार्थना पत्र

अनवान

1. रतन आत्मज जैकिशन लखारा निवासी नाहरी तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा

प्रार्थी

बनाम

1. जगदीश पिता जैकिशन लखारा निवासी नाहरी तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
2 जगदीशचन्द्र आत्मज भैरूलाल नाई निवासी नाहरी तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
3 जमनालाल आत्मज भैरूलाल नाई निवासी नाहरी तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
4 सत्यनारायण आत्मज भैरूलाल नाई निवासी नाहरी तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
5 डालचन्द उर्फ गणपतलाल आत्मज भैरूलाल नाई निवासी नाहरी तहसील रायपुर
6 कन्हैयालाल आत्मज बंशीलाल दर्जी निवासी नाहरी तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
7 प्रेमदेवी पत्नि श्यामलाल बैरवा निवासी नाहरी तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
8 श्यामलाल आत्मज मांगीलाल बैरवा निवासी नाहरी तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा

विपक्षीगण

प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 111, 128 एल0आर0एक्ट

उपस्थित

1. नृपेन्द्रसिंह चुण्डावत— प्रार्थी अधिवक्ता

निर्णय

दिनांक 06.06.2024

पत्रावली पेश हुई। प्रकरण का संक्षेप मे विवरण इस प्रकार है राजस्व ग्राम नाहरी पटवार हल्का नाहरी तहसील रायपुर के बेरून हल्का आबादी मे प्रार्थी के खातेदारी अधिकार एवं कब्जे काश्त की आराजी संख्या 1145 रकबा 0.54 है0 भूमि अन्य आराजियात के साथ राजस्व खाता संख्या 523 पर दर्ज रेकार्ड है। प्रमाण में नकल जमाबंदी मय नक्शा ट्रेस प्रार्थना पत्र के साथ प्रस्तुत की हैं। प्रार्थी की उक्त आराजियात के चारों तरफ सीमा के मुश्तकील निशानात नही होने से प्रार्थी को काश्त करने, काश्त लाभ प्राप्त करने, घास आदि काटने व मवेशी चराने में दरम्यान पक्षकारान आपस मे सीमा सम्बन्धी विवाद बना रहता है जिससे प्रार्थी को अपनी आराजियात की पत्थरगढी कराना आवश्यक हो गया है। प्रार्थी ने विपक्षीगण को कई मर्तबा को उक्त आराजी की पत्थरगढ़ी कराने बाबत् कहा लेकिन विपक्षीगण हरबार टालमबाजी का जवाब देते है। प्रार्थी ने विपक्षीगण को अन्तिम बार दिनांक 25.04.2023 को कहा लेकिन विपक्षीगण इन्कार हो गये, जिससे प्रार्थी को प्रार्थना पत्र पेश करने हेतु विवश होना पड़ा है। अतः प्रार्थी की सादर प्रार्थना है कि उक्त वर्णित आराजियात की पत्थरगढ़ी कराये जाने का आदेश तहसीलदार रायपुर के नाम प्रदान कराया जावे।

प्रस्तुत प्रार्थना पत्र को इस न्यायालय मे दिनांक 26.05.2023 को पंजीबद्ध किया जाकर विपक्षीगण को वजह जारी करने हेतु नोटिस जारी किये गये। नोटिस की पालना मे विपक्षी संख्या 1 बावजुद सूचना के उपस्थित नही होने से एकतरफा कार्यवाही करने का निर्णय लिया गया तथा विपक्षी संख्या 8 के विरूद्व प्रार्थी अधिवक्ता कोई कार्यवाही नही चाहते है एवं विपक्षी संख्या 2 लगायत 7 के अधिवक्ता द्वारा जवाब प्रस्तुत किया गया जो शामिल पत्रावली

किया गया। विपक्षी द्वारा जवाब में अंकन किया गया कि प्रार्थी व विपक्षीगण के मध्य पुरानी थोहर की बाड़ व पत्थरो की दीवार बना रखी है। प्रार्थी व विपक्षीगण अपने अपने कब्जे पर काबिज होकर पूर्वजो के समय से काश्त करते आ रहे है इसलिए पत्थरगढ़ी की कोई आवश्यकता नही है तथा पत्थरगढ़ी करने का गलत प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया है। प्रार्थी के प्रार्थना पत्र को अस्वीकार करते हुए गलत प्रार्थना पत्र पेश किया गया है। प्रार्थी खातेदार है और खातेदार अपनी आराजी की पत्थरगढ़ी करवाने के लिये स्वतंत्र है। वैसे भी इस प्रकार के आदेश से अधिकार अभिलेख मे किसी प्रकार का कोई परिवर्तन हाने का कोई अन्देशा नही है तथा न किसी प्रकार से अधिकार निर्धारित किये जाते है। प्रार्थी खातेदार होकर अपनी आराजियात की पत्थरगढ़ी कराना चाहते है जिसमें अगर कोई विपक्षी ऐतराज भी करता है तो कानुनन स्वीकार योग्य नही है। अतः इन तथ्यो को देखते हुए प्रार्थना पत्र प्रार्थी स्वीकार किये जाने योग्य है।

आदेश

अतः प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर आदेश दिया जाता है कि राजस्व ग्राम नाहरी पटवार हल्का नाहरी तहसील रायपुर के बेरून हल्का आबादी मे प्रार्थी के खातेदारी अधिकार एवं कब्जे काश्त की आराजी संख्या 1145 रकबा 0.54 है0 भूमि अन्य आराजियात के साथ राजस्व खाता संख्या 523 पर दर्ज रेकार्ड है। जिसकी पत्थरगढ़ी कराये जाने हेतु सम्बधित भू—अभिलेख निरीक्षक को कमिश्नर नियुक्त कर आदेशित किया जाता है कि इस हेतु प्रार्थी द्वारा पत्थरगढ़ी शुल्क 200 / —रूपये राजकोष में जमा एवं कमिश्नर फीस 500 / —रूपये जमा होने पर उक्त आराजी की पत्थरगढी पक्षकारान को सूचित करते हुए बशामलात पक्षकारान के करायी जावें। खर्चा राशि जमा होने पर तहसीलदार रायपुर कमिश्नर से विधिवत् पत्थरगढी करावे। प्रकरण निर्णित शुमार होकर नम्बर से कम हो। रजिस्टर मे दाखला अंकित किया जावें।

निर्णय आज दिनांक 06.06.2024 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(दिव्यराज सिंह चुण्डावत)
उपखण्ड अधिकारी
रायपुर जिला भीलवाड़ा

सहायक कलक्टर उपखण्ड अधिकारी
रायपुर (भीलवाड़ा)

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, रायपुर जिला भीलवाड़ा (राज0)

पीठासीन अधिकारीः–दिव्यराज सिंह चुण्डावत, आर.ए.एस.

मुकदमा नम्बरः–83/2023 (2023/151) प्रार्थना पत्र

अनवान

1. रतन आत्मज जैकिशन लखारा निवासी नाहरी तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा

प्रार्थी

बनाम

1. जगदीश पिता जैकिशन लखारा निवासी नाहरी तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
2. जगदीशचन्द्र आत्मज भैरूलाल नाई निवासी नाहरी तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
3. जमनालाल आत्मज भैरूलाल नाई निवासी नाहरी तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
4. सत्यनारायण आत्मज भैरूलाल नाई निवासी नाहरी तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
5. डालचन्द उर्फ गणपतलाल आत्मज भैरूलाल नाई निवासी नाहरी तहसील रायपुर
6. कन्हैयालाल आत्मज बंशीलाल दर्जी निवासी नाहरी तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
7. प्रेमदेवी पत्नि श्यामलाल बैरवा निवासी नाहरी तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
8. श्यामलाल आत्मज मांगीलाल बैरवा निवासी नाहरी तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा

विपक्षीगण

प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 111, 128 एल0आर0एक्ट

प्रेषित :–तहसीलदार रायपुर हुक्मनामा पत्थरगढ़ी कराने बाबत्

उपरोक्त अनवान के प्रकरण में प्रार्थी के द्वारा अपनी आराजियात की पत्थरगढ़ी कराने हेतु प्रार्थना पत्र पेश किया जिसे दर्ज रजिस्टर किया जाने पर दिनांक 06.06.2024 को स्वीकार किया गया उक्त प्रार्थना पत्र के सन्दर्भ में आपको आदेश दिया जाता है कि राजस्व ग्राम नाहरी पटवार हल्का नाहरी तहसील रायपुर के बेरून हल्का आबादी मे प्रार्थी के खातेदारी अधिकार एवं कब्जे काश्त की आराजी संख्या 1145 रकबा 0.54 है0 भूमि अन्य आराजियात के साथ राजस्व खाता संख्या 523 पर दर्ज रेकार्ड है।

इस हेतु प्रार्थी द्वारा पत्थरगढ़ी शुल्क 200/–रूपये राजकोष में जमा एवं कमिश्नर फीस 500/–रूपये सम्बधित भू–अभिलेख निरीक्षक के पास जमा होने पर उक्त आराजी की पत्थरगढी पक्षकारान को सूचित करते हुए बशामलात पक्षकारान के करायी जावें।

मौके पर दौराने पत्थरगढ़ी अगर प्रार्थी की आराजियात पर विपक्षी या अन्य का कब्जा पाया जाता है तो बिना कब्जे में दखल दिये उसको नजरी नक्क्षा एवं ट्रेस में लाल स्याही से दर्शाते हुए पालना रिपोर्ट मय पर्चा मौका के प्रस्तुत करें।

हुक्मनामा आज दिनांक 06.06.2024 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालय मोहर से जारी किया गया।

(दिव्यराजसिंह चुण्डावत)
उपखण्ड अधिकारी
रायपुर, जिला भीलवाड़ा